

06/06/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपरोक्त
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने के
पर्याप्त अवसर दिये बावजूद पेश नहीं
किए। अतः वादी का वाद Non-Compliance
(अपामना) में खारीज किया जाता है।
पत्रावली जिसका श्रुमार होकर दाखिल
वापस है।

सहायक क्लर्क
(200) कोर्ट